

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052025-263405 CG-DL-E-27052025-263405

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.10 ] No. 10] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 27, 2025/ ज्येष्ठ 6, 1947 NEW DELHI, TUESDAY, MAY 27, 2025/ JYAISTHA 6, 1947

## रक्षा मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2025

का.नि.आ. 10 (अ).— केंद्रीय सरकार अंतर-सेना संगठन (कमान, निंयत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023 (2023 का 28) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1..संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतर-सेना संगठन (कमान, नियत्रण और अनुशासन) नियम, 2025 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं- इन नियमों में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो-
  - (क) "अधिनियम" से अंतर-सेना संगठन (कमान, नियत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023 (2023 का 28) अभिप्रेत है;
  - (ख) "अंतर-सेना स्थापन" से ऐसा स्थापन अभिप्रेत है जो सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45), वायुसेना अधिनियम 1950 (1950 का 46) और नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) या उक्त अधिनियमों में से किन्हीं दो अधिनियम के अधीन और किसी कमान अधिकारी द्वारा दिए गए कमान के

3452 GI/2025 (1)

- अधीन रहते हुए, मेजर जनरल या एयर वाइस मार्शल या रियल एडमिरल या इससे ऊपर की पंक्ति के व्यक्तियों से मिलकर बना है।
- (ग) "अंतर-सेना संगठन" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (1) के खंड (च) में दिया गया है।
- (घ) "अंतर-सेना यूनिट" से ऐसी कोई यूनिट या पोत या स्थापन अभिप्रेत है जो सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45), वायुसेना अधिनियम 1950 (1950 का 46) और नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) या उक्त अधिनियमों में से किन्हीं दो अधिनियम के अध्यधीन और, और उक्त अधिनियमों में से किसी एक अधिनियम के अधीन रहते हुए किसी अधिकारी द्वारा कमान के अध्यधीनजो अधिनियम की धारा 8 के निबंधनों में सशक्त किए गए व्यक्तियों से मिलकर बनी है।
- (ड.) "संयुक्तसेना कमान"से ऐसीकमान अभिप्रेत है जो सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45), वायुसेना अधिनियम 1950 (1950 का 46) और नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) या उक्त अधिनियमों में से किन्हीं दो अधिनियम के अधीन और किसी कमांडर इन चीफ द्वारा दिए गए कमान के अधीन रहते हुए,लेफ्टिनेंट जनरल या एयर मार्शल या वाइस एडिमरल की पंक्ति के व्यक्तियों से मिलकर बनी है।
- (च) ऐसे शब्द और पद जिन्हें इसमें प्रयुक्त किया गया है और ये अधिनियम में या इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु या तो सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45), वायुसेना अधिनियम 1950 (1950 का 46) और नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) या इनके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में परिभाषित हैं, का अर्थ क्रमशः वही होगा जो यथास्थित उक्त अधिनियमों, नियमों या कानूनी विनियमों में उनके लिए दिया गया है।
- 3. कमान- (1) जब कमांडर चीफ, समादेशक आफिसर या कमान अधिकारी अनुपस्थित है, छुट्टी पर है, या अन्यथा है तो यथास्थिति, अंतर-सेवा संगठन स्थापन या यूनिट में आदेश कमांडर चीफ, या कमान अधिकारी के रूप में कार्य करने वाला अधिकारी अधिसूचित किया जाएगा और किसी आपात स्थिति में जहां ऐसे आदेश अधिसूचित नहीं किए गए हैं, वहां ऐसा अधिकारी, जिसे अगले उच्चतर गठन द्वारा कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है. नियक्ति अधिसुचित होने तक, अधिसुचित किया जाएगा।
- (2) उप नियम (1) के अधीन कमांडर इन चीफ,समादेशक आफिसरया कमान अधिकारी के रूप में कार्य करने वाला अधिकारी संबंधित सेनाअधिनियमों, नियमों या विनियमों में यथा अंतर्विष्ट ऐसे निर्वंधनों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, कमांडर इन चीफ, समादेशक आफिसरया कमान अधिकारी को प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा।
- 4. अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्ति- किसी संयुक्त सेना कमान के कमांडर इन चीफ, अंतर-सेना स्थापन के समादेशक आफिसर और अंतर-सेना यूनिट के कमान अधिकारी, किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो किसी सेना अधिनियम के अधीन है, उस अंतर-सेना संगठन में तैनात है या उससे जुड़ा है, सभी अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग ऐसे व्यक्ति पर लागू सेना अधिनियमों, नियमों या विनियमों के अनुसार करेंगे।
- 5. अविशष्ट उपबंध- कमांडर इन चीफ, यथास्थिति,अंतर-सेना स्थापन के समादेशक आफिसरया अंतर-सेना यूनिट के कमान अधिकारी के कमान, नियंत्रण और अनुशासनात्मक तथा प्रशासनिक शक्तियों से संबंधित ऐसे मामले, जिनके संबंध में इन नियमों में या सेना अधिनियमों में या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, इनके विनिश्चय के लिए केंद्रीय सरकार को विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

[फा.सं. 1(10)/2009-डी(जीएस-1) (खंड. IV)] रियर एडमिरल विक्रम मेनन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2025

**S.R.O.** 10(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the Inter-services Organisations (Command, Control and Discipline) Act, 2023 (28 of 2023), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

- 1. **Short title and commencement.-** (1)These rules may be called the Inter-services Organisations (Command, Control and Discipline) Rules, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires -
  - (a) "Act" means the Inter-services Organisations (Command, Control and Discipline) Act, 2023 (28 of 2023);
  - (b) "Inter-services establishment" means an establishmentconsisting of persons, subject to the Army Act, 1950 (45 of 1950), the Air Force Act, 1950 (46 of 1950) and the Navy Act, 1957 (62 of 1957) or any two of the said Acts, and commanded by an Officer-in-Command, of the rank of Major General or Air Vice Marshal or Rear Admiral or above;
  - (c) "Inter-services Organisation" shall have the meaning as assigned to it in clause (g) of sub-section (1) of section 3 of the Act;
  - (d) "Inter-services unit" means a unit or ship or establishment, consisting of persons, subject to the Army Act, 1950 (45 of 1950), the Air Force Act, 1950 (46 of 1950) and the Navy Act, 1957 (62 of 1957) or any two of the said Acts, and commanded by an Officer subject to any of the said Acts, empowered in terms of section 8 of the Act;
  - (e) "Joint Services Command" means a Command consisting of persons, subject to the Army Act, 1950 (45 of 1950), the Air Force Act, 1950 (46 of 1950) and the Navy Act, 1957 (62 of 1957) or any two of the said Acts, and commanded by a Commander-in-Chief, of the rank of Lieutenant General or Air Marshal or Vice Admiral;
  - (f) Words and expressions used herein and not defined in the Act or in these rules, but defined either in the Army Act, 1950 (45 of 1950), the Air Force Act, 1950 (46 of 1950) and the Navy Act, 1957 (62 of 1957) or in the rules or regulations made thereunder, shall have the meaning respectively assigned to them under the said Acts, rules or statutory regulations, as the case may be.
- 3. **Command.-**(1) When the Commander-in-Chief, the Officer-in-Command or the Commanding Officer is absent, on leave or otherwise, the officer to officiate as the Commander-in-Chief, Officer-in-Command or the Commanding Officer shall be notified in the Inter-services Organisation, Establishment or Unit Orders, as the case may be and in case of emergency where such Orders have not been notified, by such officer as deputed to officiate by the next higher formation, until the appointment is notified.
- (2) The officer officiating under sub-rule (1) as the Commander-in-Chief, the Officer-in-Command or the Commanding Officer, shall, subject to such restrictions as contained in the respective Service Acts, rules or regulations, exercise any power conferred on the Commander-in-Chief, the Officer-in-Command or the Commanding Officer, as the case may be.
- 4. **Disciplinary and administrative power.** -The Commander-in-Chief of a Joint Services Command, Officer-in-Command of Inter-services establishment and Commanding Officer of Inter-services unit shall exercise all disciplinary and administrative power over a person subject to any of the Service Acts, posted or

attached to that Inter-services Oragnisation, in accordance with the Service Acts, rules or regulations applicable to such person.

5. **Residuary provision.**- Matter relating to command, control and disciplinary and administrative powers of the Commander-in-Chief or, as the case may be, Officer-in-Command of the Inter- services Organisation or the Commanding Officer of an Inter-services unit with respect to which no express provision has been made in these rules or in the Service Acts or in the rules or regulations made thereunder, shall be referred to the Central Government for its decision.

[F. No. 1(10)/2009-D(GS-1)(Vol. IV)] REAR ADMIRAL VIKRAM MENON, Jt. Secy.